आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
28.06.19	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–45/2019** देवीवाला दासी –बनाम्– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचॉची अंचल अन्तर्गत मौजा–भंवरदाहा, थाना नं0–30, खाता नं0–19, प्लॉट नं0–612, रकवा–0.0163 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक के आवेदन पत्र तथा स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि में दो तल्ला मकान है। जिसमें एक में टायर दुकान, दूसरा में होटल व्यवसाय चलता है, इसके अतिरिक्त लेटरिंग रूम जल पम्प सेट आदि है। उक्त मकान, होटल, दुकान आदि का मुआवजा राशि मात्र 12,75,441.00 रू0 ही भुगतान किया गया है, जबकि मकान, होटल, दुकान आदि का मुआवजा राशि 30–35 लाख रू0 होता है। आवेदक द्वारा जॉचकर बाजार दर पर भूमि एवं अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है। अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI वास्ताविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। (ह0) 28/6/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद। लेखापित एवं संशोधित। (ह0) 28/6/19 अपर समाहर्त्ता –सह– आर्बिट्रेटर धनबाद।	